

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(3)मं.मं./2024-01493

जयपुर, दिनांक:

आदेश

मा0 मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से राजकीय महाविद्यालयों/चिकित्सालयों/विद्यालयों आदि के नाम परिवर्तन के संबंध में नीति बनाये जाने हेतु निम्नानुसार मंत्रिमण्डलीय समिति का गठन एतद्द्वारा किया जाता है:-

- | | |
|---|--------------------|
| 1. डॉ0 प्रेमचन्द बैरवा,
उप मुख्यमंत्री, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा,
आयुर्वेद, योग एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग,
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग | अध्यक्ष एवं संयोजक |
| 2. श्री गजेन्द्र सिंह,
मंत्री, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ईएसआई) | सदस्य |
| 3. श्री मदन दिलावर,
मंत्री, विद्यालयी शिक्षा विभाग (स्कूल एजुकेशन),
पंचायती राज तथा संस्कृत शिक्षा विभाग | सदस्य |

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, उच्च शिक्षा विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग होंगे।

(सुधीर कुमार शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
4. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
9449286

Document certified by SUDHIR KUMAR
SHARMA <VABOSI8498@L1EBOE.COM>

Digitally Signed by Sudhir Kumar
Sharma
Designation : Secretary To
Government
Date :01-08-2024 04:58:51